



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248958
CG-DL-E-23092023-248958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]
No. 230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 सितम्बर 2023

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 15/2023

विषय : चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "फास्टनर" के आयात के संबंध में सुओ मोटो पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/16/2023-डीजीटीआर.—"एपीटी टूल्स एंड मशीनरी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड" (जिसे बाद में "एटीएम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और "नॉर्दर्न इंडिया स्क्रू मैनुफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन" (इसके बाद "एसोसिएशन" के रूप में संदर्भित) से नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि फास्टनरों के भारतीय उत्पादक (जिसे बाद में "विषय वस्तुओं" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित किया जाता है) आयात की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण क्षति हो रही हैं। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक किए गए मूल्यों पर चीन जनवादी गणराज्य (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से विषय वस्तुएं। एटीएम और एसोसिएशन ने प्राधिकरण से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है, और प्राधिकरण से संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने और पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। एटीएम को 29 घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि एसोसिएशन का दावा है कि यह लगभग 150 घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।

2. प्राधिकरण समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 5 (4) के अनुसार भारतीय उद्योग निर्माता फास्टरों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का संज्ञान लेता है (इसके बाद इसे "नियम" या "एडी नियम" भी कहा जाता है)।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "फास्टर" है।
4. विचाराधीन प्रस्तावित उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: पेंच, बोल्ट, नट, कॉइल कील, कंक्रीट कील, सी-रिंग्स, स्प्रिंग रोल क्लिप, औद्योगिक स्टेपल पिन, स्टील स्टैपिंग सील, प्लास्टिक स्ट्रिप कील, केबल क्लिप कील, थोक कील, स्टील कील स्टेपल पिन, बिस्तर उपभोग्य सामग्रियां, स्टील कील, क्लिप कील, ब्रैड कील, स्टेपल और स्टेपल पिन आदि।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 73, 82 और 83 के तहत 73170013, 73170019, 73181110-73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500, 73181600, 73181900, 82074090 और 83059010 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित पीयूसी को अन्य एचएस कोड के तहत आयात किया जा सकता है।
6. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 22 में दर्शाया गया है।

ख. समान वस्तु

7. पीयूसी का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग का दावा है कि घरेलू निर्माताओं द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से निर्यात किए गए लेख में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और विषय देश से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित विषय वस्तुएं और वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधीन हैं। भारतीय उद्योग ने दावा किया है कि विषय वस्तुओं के उपभोक्ता विषय वस्तुओं और भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित लेख का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित लेख को चीन जनवादी गणराज्य से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए लेख के समान माना गया है।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जनवादी गणराज्य है।

घ. जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (इसके बाद पीओआई के रूप में संदर्भित) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) तक है। इसके अलावा, की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 और जांच की अवधि प्रस्तावित की गई है।

ड. कथित पाटन का आधार

सामान्य मान

10. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है, जब तक कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।
11. इसलिए, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जिसमें उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

12. विषय वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के साथ प्रस्तुत प्रकाशित आयात आंकड़ों से विषय वस्तुओं के सीआईएफ आयात मूल्यों के आधार पर की गई है, जिसमें समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह व्यय और शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बैंक शुल्क के लिए उचित समायोजन शामिल हैं।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

14. भारतीय उत्पादकों ने प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। विषय देश से विषय आयात की मात्रा पूर्ण और साथ ही सापेक्ष रूप से काफी बढ़ गई है। समग्र रूप से विषय देश से कीमतों में कमी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। कम क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा में गिरावट, नुकसान, बाजार शेयरों में गिरावट आदि के कारण भी एटीएम को नुकसान हुआ है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. एटीएम और एसोसिएशन द्वारा दायर अभ्यावेदन को एडी नियमों के नियम 5 (4) के संदर्भ में 'सूचना' के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकरण इन अभ्यावेदनों में दी गई जानकारी की सटीकता और पर्याप्तता से संतुष्ट है। विषय वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित अभ्यावेदनों के आधार पर और संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के डंपिंग के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर संतुष्टि तक पहुंचने के बाद विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटित किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, इसके द्वारा, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ज. प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच में एडी नियम, 1995 के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
18. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
19. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

20. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
21. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ज. समय सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
24. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
27. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
29. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 22 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

31. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ठ. असहयोग

32. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INVESTIGATION INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September 2023

Case No. AD-OI (15/2023)

Subject: *Suo-moto* initiation of an anti-dumping investigation on imports of Fasteners originating in or exported from China PR.

F. No. 6/16/2023-DGTR Representations have been received from “Apt Tools and Machinery Indian Pvt. Ltd.” (hereinafter referred to as “ATM”) and “Northern India Screw Manufacturers and Traders Association” (hereinafter referred to as the “Association”), before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) stating that the Indian producers of *fasteners* (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) are being injured due to the significant volume of imports of the subject goods from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”) at dumped prices. ATM and the Association have requested the Authority to take cognizance of the matter, and have requested the Authority to initiate an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject country and to recommend the imposition of an anti-dumping duty. ATM claims to have the support of 29 domestic producers, whereas the Association claims to be representing about 150 domestic producers.

2. The Authority hereby takes cognizance of the information provided by the Indian producers of fasteners in accordance with Rule 5(4) of Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules” or “AD Rules”) and the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the “Act”).

A. Product under consideration

3. The product under consideration for the present investigation is “*fasteners*”.

4. The scope of the proposed product under consideration includes, but is not limited to: screws, bolts, nuts, coil nails, concrete nails, C-rings, spring & roll clips, industrial staple pins, steel strapping seals, plastic strip nails, cable clip nails, bulk nails, steel nails & staple pins, bedding consumables, steel nails, clip nails, brad nails, staples & staple pins, etc.

5. The product under consideration is classified under Chapters 73, 82, and 83 of the Customs Tariff Act under subheadings 73170013, 73170019, 73181110-73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500, 73181600, 73181900, 82074090 and 83059010. The customs classification is indicative only, and not binding on the scope of the product under consideration since the proposed PUC may be imported under other HS Codes.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 22 of this initiation notification.

B. Like article

7. The Indian producers of the PUC claim that there are no significant differences in the article produced by the domestic manufacturers and exported from the subject country. The articles produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the articles manufactured by the Indian industry are technically and commercially substitutable. The Indian industry has claimed that consumers of the subject goods are using the subject goods and the article manufactured by the Indian producers interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the Indian industry has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from China PR.

C. Subject Country

8. The subject country in the present investigation is China PR.

D. Period of Investigation (POI)

9. The period of investigation (hereinafter referred to as the “POI”) for the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). Further, the injury investigation period has been considered as 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 22, and the period of investigation.

E. Basis of Alleged Dumping**Normal Value**

10. The consistent practice of the Authority has been to treat China PR as a non-market economy, unless the producers from China PR demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

11. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicants duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Export Price

12. The export price for the subject goods has been computed based on the CIF import prices of the subject goods from the published import data submitted along with the representations made by the domestic producers, with due adjustments for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at the net export price.

Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level and is significant with respect to the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

F. Injury & Causal Link

14. The Indian producers have made representations before the Authority that *prima facie* evidence exists with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased significantly in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject country as a whole is positive and significant. ATM has also suffered injury on account of low-capacity utilisation, declining sales volume, losses, the decline in market shares, etc.

G. Initiation of the Investigation

15. The representation filed by ATM and the Association has been considered as ‘information’ in terms of Rule 5(4) of the AD Rules. The Authority is satisfied as to the accuracy and adequacy of the information provided in these representations. On the basis of the duly substantiated representations submitted by the Indian producers of the subject goods, and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted therein, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, *suo moto* initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Procedure

16. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

I. Submission of Information

17. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

18. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995, and the applicable trade notices issued by the Authority.

19. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

21. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

J. Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

24. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

K. Submission of Information on Confidential Basis

25. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

26. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

27. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

28. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 22 of this initiation notification.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

L. Non-Cooperation

32. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority